



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 19 नवम्बर, 2025

कार्तिक 28, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 208/79-वि-1-2025-2-क-17-2025

लखनऊ, 19 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2025), जिससे श्रम अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2025)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 26
सन् 1962 की
धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 1 में,—

- (क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्:—
“संक्षिप्त नाम और विस्तार”
(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में—

- (क) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—
“(4) वाणिज्य अधिष्ठान का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

(एक) कोई भी परिसर, जो किसी कारखाने या दुकान का परिसर नहीं है, जिसमें कोई व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक या सहायक कोई भी कार्य लाभ के लिए किया जाता है और इसमें ऐसा परिसर भी सम्मिलित है जिसमें पत्रकारिता या मुद्रण कार्य या बैंकिंग, बीमा, स्टॉक और शेयर, ब्रोकरेज या उत्पाद विनिमय का कारबार किया जाता है या जिसका उपयोग थिएटर, सिनेमा या किसी अन्य सार्वजनिक आमोद—प्रमोद या मनोरंजन के लिए किया जाता है या जहां किसी कारखाने का लिपिकीय और अन्य अधिष्ठान, जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, कार्य करते हैं;

(दो) किसी भी चिकित्सा व्यवसायी (अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, प्रसूति गृह और ऐसे अन्य सहित), वास्तुकार, कर सलाहकार या किसी अन्य तकनीकी या वृत्तिक परामर्शदाता, सेवा प्रदाता या सेवा मंच और वितरण सेवाएं प्रदान करने वाले अधिष्ठान, आदि;

(तीन) ऐसे अन्य अधिष्ठान जिन्हें राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक अधिष्ठान घोषित करे;

(ख) खंड (6) में, उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) वाह्य सेवा प्रदाता अभिकरण के माध्यम से अभिनियोजित कोई व्यक्ति जो भाड़े या पारिश्रमिक पर कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन की निबन्धन स्पष्ट या विवक्षित हों;”

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

- (क) खंड (ड) निकाल दिया जायेगा;
(ख) खंड (च) में, प्रतीक “ . ”, के स्थान पर प्रतीक “ ; ” रख दिया जाएगा;
(ग) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—
“(छ) बीस से कम कर्मचारी नियोजन वाले दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान।”

धारा 4(ख) का
संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 4—ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

4ख— (1) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी, जहां बीस या अधिक रजिस्ट्रीकरण कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे कारबार के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभागीय वेब—पोर्टल पर अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

यदि दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान की प्रकृति केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी विभाग के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, तो आवेदक को एक शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने उक्त विभाग या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शी सिद्धान्तों का, यदि कोई हो, विहित फीस के भुगतान के साथ अनुपालन किया है/करेगा।

यदि आवेदन पूर्ण है और आवेदक पात्र है, तो विभागीय वेब-पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को उसके ई-मेल पर प्रेषित कर दिया जाएगा:

परन्तु यह कि आवेदक द्वारा उक्त रजिस्ट्रीकरण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या छिपाकर या जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है तथा ऐसे आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ विभागीय वेब-पोर्टल पर यथाविहित ऐसी फीस संलग्न होगी।”

6—मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:— धारा 6 का संशोधन

6—(1) कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी से किसी भी दिन “कार्य के घंटे और अतिकाल निम्नलिखित से अधिक कार्य करने की अपेक्षा या उसे अनुमति नहीं देगा:—

(क) तरुण व्यक्ति होने की दशा में छः घंटे; और

(ख) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में नौ घंटे:

परन्तु यह कि ऐसे कर्मचारी से, जो तरुण न हो, एक सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घंटे के अध्यधीन किसी भी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या अनुमति दी जा सकती है। तथापि अतिकाल सहित कार्य के कुल घंटों की संख्या स्टॉक लेने या लेखा-जोखा बनाने के दिन के सिवाय किसी भी एक दिन में ग्यारह घंटे से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अतिकाल कार्य के कुल घंटों की संख्या किसी भी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: ‘तिमाही’ का तात्पर्य 1 जनवरी या 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की निरन्तर अवधि से है।

(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्धारित कार्य के घंटों से अधिक कार्य किया है, उसके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक अतिकाल कार्य के लिए साधारण दर से दुगुनी दर पर मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—1: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ‘साधारण दर’ का तात्पर्य आधारिक मजदूरी तथा ऐसे भत्तों से है, जिसमें खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की रियायती बिक्री के माध्यम से कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ के समतुल्य नकद राशि भी सम्मिलित है, जिसका कर्मचारी तत्समय हकदार है, किन्तु इसमें बोनस सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण—2: किसी कर्मचारी को अतिकाल कार्य के लिए सदेय मजदूरी की गणना करने में एक दिन को कार्य के नौ घंटे गिना जाएगा”।

7—मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, धारा 22 का संशोधन

22— कोई भी नियोक्ता, यह समाधान होने पर कि उसकी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान

“रात्रि के में आश्रय, भोजन कैंटीन सुविधा, विश्राम कक्ष, रात्रिकालीन शिशुगृह, दौरान महिला शौचालय, उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था तथा दुकान महिलाओं के या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके संबंधित निवास तक परिवहन की नियोजन पर या व्यवस्था विद्यमान है, ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में काम प्रतिषेध

करने वाली महिलाओं की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, उन्हें शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति दे सकता है”।

धारा 28-क का
संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 28-क की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(7) प्रत्येक नियोक्ता को खड़े होकर काम करने के लिए बाध्य सभी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था करनी होगी।

(8) दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान में नियुक्ति के समय प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा, जिसमें कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, अर्हता (जैसे कुशल/अकुशल/ अर्ध-कुशल), पद का नाम, वेतन/मजदूरी, मोबाइल फोन नंबर, आधार संख्या, पद की प्रकृति आदि जैसी जानकारी होगी।”

धारा 33 का
संशोधन

9-मूल अधिनियम में, धारा 33 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाएगी, अर्थात्:-

“(2) निरीक्षक, धारा 20 की उपधारा (1) को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व, नियोक्ता को पंद्रह दिन की लिखित सुधार सूचना के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने का अवसर देगा और यदि नियोक्ता ऐसी अवधि के भीतर निर्देश का अनुपालन करता है, तो निरीक्षक नियोक्ता के विरुद्ध ऐसी अभियोजन कार्यवाही आरंभ नहीं करेगा। नियोक्ता को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जायेगा, यदि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई धाराओं और नियमों के समान प्रकृति का उल्लंघन, उस दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर दोहराया जाता है, जिस दिन ऐसा पहला उल्लंघन किया गया था और ऐसे मामलों में अभियोजन अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरंभ किया जाएगा”।

धारा 35 का
संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

35-इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति जुर्माने से “दंड दण्डनीय होगा, जो प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपए तक और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपए तक हो सकेगा”।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 208(2)/LXXIX-V-1-2025-2-ka-17-2025

Dated Lucknow, November 19, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2025 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 16 of 2025) promulgated by the Governor. Shram Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN
(SANSHODHAN) ORDINANCE, 2025
(U.P. ORDINANCE NO. 16 OF 2025)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

Further to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan Adhiniyam, 1962.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan (Sanshodhan) Ordinance, 2025. Short title, Extent and commencement
- (2) It shall extend to whole of the State of Uttar Pradesh. commencement
- (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official *Gazette*.
2. In the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan Adhiniyam, 1962 (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 1,— Amendment of Section 1 of U.P. Act no. 26 of 1962
 - (a) *for* the marginal heading, the following marginal heading shall be *substituted*, namely:-
"Short title and extent" ;
 - (b) sub-section (3) shall be *omitted*.
3. In Section 2 of the principal Act,— Amendment of Section 2
 - (a) *for* clause (4), the following clause shall be *substituted*, namely:-
"(4) 'commercial establishment' means,—
(i) any premises, not being the premises of a factory, or a shop, where in any trade, business, manufacture, or any work in connection with, or incidental or ancillary thereto, is carried on for profit and includes a premises wherein journalistic or printing work, or business of banking, insurance, stocks and shares, brokerage or produce exchange is carried on, or which is used as theatre, cinema or for any other public amusement or entertainment, or where the clerical and other establishment of a factory, to whom the provisions of the Factories Act, 1948, do not apply, work;
(ii) establishment of any medical practitioner (including hospitals, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home and such others), architect, tax consultant or any other technical or professional consultant, service providers or establishment providing service platform and delivery services, *etc.*;

(iii) such other establishments as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, declare to be a commercial establishment for the purpose of this Act ; " ;

(b) in clause (6), after sub-clause (c), the following sub-clause shall be *inserted*, namely :-

"(d) a person engaged through an outsourcing agency employed to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied;"

Amendment
of Section 3

4. In sub-section (1) of Section 3 of the principal Act,—

(a) clause (e) shall be *omitted* ;

(b) in clause (f), *for* the symbol " . " , the symbol " ; " shall be *substituted* ;

(c) after clause (f), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(g) shops or commercial establishment employing less than twenty employees."

Amendment
of Section 4-B

5. *For* Section 4-B of the principal Act, the following Section shall be *substituted*, namely:-

4-B. (1) Every owner of a shop or commercial establishment, where twenty or more employees are working, within six months of the commencement of such business, shall submit an application for registration of his shop or commercial establishment on the departmental web-portal along with the necessary documents.

If the nature of the shop or commercial establishment falls under the regulatory domain of any department of the Central/State Government, as the case may be, the applicant shall submit an affidavit that he has/will comply with the rules, regulations, notifications, guidelines issued or to be issued by the said department or authority, if any, with the prescribed payment of fees.

If the application is complete and applicant is eligible, automatic registration shall be granted by the departmental web-portal and registration certificate shall be sent to the applicant on his e-mail:

Provided that if the said registration is obtained by the applicant by misrepresentation or concealment of facts or on the basis of forged documents, such registration shall be deemed null and void and may be cancelled by Registering Officer and legal action may be taken against such applicant:

Provided further that the registration certificate issued under this Section shall not be a proof of ownership of shop or commercial establishment.

(2) Every application for registration under sub-section (1) shall be in such form and shall be accompanied by such fees as prescribed on the departmental web-portal."

Amendment
of Section 6

6. *For* Section 6 of the principal Act, the following Section shall be *substituted*, namely:-

6. (1) No employer shall require or allow an employee to work on any
 "Hours of work
 and overtime
 day for more than,—

(a) six hours in the case of a young person; and

(b) nine hours in the case of any other employee:

Provided that any employee, not being a young person, may be required or allowed to work in any shop or commercial establishment for more than nine hours in any day subject to a maximum of forty-eight hours in a week. Howsoever, that the total number of hours of work including overtime shall not exceed eleven hours on any one day except on a day of stock-taking or making of accounts:

Provided further that the total number of hours of overtime work shall not exceed one hundred and forty four hours in any quarter.

Explanation: 'Quarter' means a period of three consecutive months beginning on the 1st of January, the 1st of April, the 1st of July or the 1st of October.

(2) An employee, who has worked in excess of the hours of work fixed under clause (b) of sub-section (1), shall be paid by his employer, wages at twice the ordinary rate, for every overtime work.

Explanation-1: For the purpose of this sub-section, 'ordinary rate' means the basic wages plus such allowances, including the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to employees of food grains and other Articles, as the employee is for the time being entitled to, but does not include bonus.

Explanation-2: In calculating the wages payable to an employee for overtime work, a day shall be reckoned as consisting of nine working hours."

7. For Section 22 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Amendment
of Section 22

22- Any employer, on being satisfied that the provision of shelter, food canteen facility, rest room, night creche, ladies' toilets, adequate protection of their safety, and their transportation from the shop or commercial establishment to their respective residences exists in his shop or commercial establishment, may, after obtaining the consent of the women working in such shop or commercial establishment, allow them to work between 7 p.m. and 6 a.m."

8. In Section 28-A of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

Amendment
of Section 28-A

"(7) Every employer shall provide adequate sitting arrangements for all employees obliged to work in a standing position.

(8) Every employer of a shop and commercial establishment shall issue a letter of appointment to every employee on his/her appointment in the shop and commercial establishment with information such as employee's name, father's name, date of birth, qualification (like skilled/unskilled/semi-skilled), name of the post, salary/wages, mobile phone number, Aadhaar number, nature of the post, etc."

9. In the principal Act, Section 33 shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after the sub-section as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:-

Amendment
of Section 33

"(2) The Inspector shall, before initiation of prosecution proceeding for the offences under this Act except sub-section (1) of Section 20, give an opportunity to the employer to comply with the provisions of the Act by way of a fifteen days written improvement notice, and, if the employer complies with the direction within such period, the Inspector shall not initiate such prosecution proceeding against the employer. No such opportunity shall be accorded to an employer, if the violation of the same nature of the sections and rules made under this Act is repeated within a period of five years from the date on which such first violation was committed; and in such case, the prosecution shall be initiated in accordance with the Act and orders issued by the State Government from time to time. "

Amendment
of Section 35

10. *For* Section 35 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

35- Any person guilty of an offence under this Act shall be liable to fine which "Punishment may, for the first offence, extend to two thousand rupees and, for every subsequent offence, to ten thousand rupees." .

ANANDIBEN PATEL
*Governor,
Uttar Pradesh.*

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 244 राजपत्र-2025-(752)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 71 सा० विधायी-2025-(753)-70+230=300 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।